प्रेस विज्ञप्ति

अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान के तत्वाधान में 07 सितम्बर 2011 को प्रातः 10.00 बजे डॉ. अम्बेडकर मैमोरियल वेलफेयर सोसायटी 13–14 झालाना डूंगरी जयपुर परिसर में ''**आरक्षण अधिकार सम्मेलन**'' का आयोजन जे.पी. विमल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसमें राजस्थान के कौने–कौने से अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग ने इस बात पर चिन्ता जाहिर कि की इन वर्गो के लिए आरक्षण व्यवस्था बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच हुए पूना पैक्ट के फलस्वरूप लागू हुई। लेकिन जब से यह व्यवस्था लागू हुई है तब से ही इसे उच्च वर्गो के लोगों द्वारा माननीय न्यायालय में चुनौती देकर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। सरकार का यह दायित्व है कि वह पूना पैक्ट की पालना करने के लिए आरक्षण को बचाये रखने के लिए कार्य करें लेकिन यह देखा गया है कि सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, तथा बार–बार अनुसूचित जाति, जनजाति, वर्ग को आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

आरक्षण अधिकार सम्मेलन के दौरान उपस्थित विशाल जन समूह में निम्नलिखित मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देने का प्रस्ताव पारित किया है:–

1. अनु. जाति, जनजाति वर्ग को पदौन्नति में आरक्षण बरकार रखने व पदौन्नति की तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण दिनांक 17.06.1995 से प्रभावी करते हुए तत्काल नियम बनाया जाये।
2. वर्तमान आबादी के अनुपात में अनु.जाति, जनजाति का नौकरियों में आरक्षण बढाकर क्रमशः 17 प्रतिशत व 13 प्रतिशत किया जाये।
3. आरक्षण कानून बनाकर संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की कार्यवाही की जाये। तथा आरक्षण को न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाये।

4. प्राईवेट सैक्टर में आरक्षण का प्रावधान किया जायें।
5. उच्च न्याय पलिकाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाये एवं जजो की नियुक्ति हेतु भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाये।
6. एक्स केंडर पद व डेपुटेशन से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण नियम लागू किये जाये, राज्य के सभी संवर्गो में अनु.जाति, जनजाति का बैक लोग भरा जाये।
7. शिक्षा का निजीकरण व बाजारीकरण बन्द किया जाये तथा सबको एक समान व अनिवार्य शिक्षा कानून लागू की जाये।
8. राज्य में अनु.जाति, जनजाति के विधार्थियों की छात्रवृत्ति बढाई जाये।
9. अनु.जाति, जनजाति के साथ हो रहे अत्याचारों व महिलाओं के साथ उत्पीडन को रोका जाये।
10. विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्राध्यापक एवं अन्य पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जावे।
11. लोकपाल के समस्त संवर्गो में आरक्षण की व्यवस्था की जाये।

यदि उक्त मांगो पर तत्काल कार्यवाही नहीं की तो आरक्षण मंच आन्दोलनात्मक रूख अपनायेगा।

सधन्यवाद

श्रीमान सम्पादक महोदय

.....

.....

भवदीय

ई. आशाराम मीणा
महासचिव

श्री अशोक गहलोत जी,
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार, जयपुर

ज्ञापन

माननीय महोदय,

अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान में 07 सितम्बर 2011 को प्रातः 10.00 बजे डॉ. अम्बेडकर मैमोरियल वेलफेयर सोसायटी 13–14 झालाना डूंगरी जयपुर परिसर में ''**आरक्षण अधिकार सम्मेलन**'' का आयोजन किया। जिसमें राजस्थान के कौने–कौने से अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग ने इस बात पर चिन्ता जाहिर कि की इन वर्गो के लिए आरक्षण व्यवस्था बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच हुए पूना पैक्ट के फलस्वरूप लागू हुई। लेकिन जब से यह व्यवस्था लागू हुई है तब से ही इसे उच्च वर्गो के लोगों द्वारा माननीय न्यायालय में चुनौती देकर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। सरकार का यह दायित्व है कि वह पूना पैक्ट की पालना करने के लिए आरक्षण को बचाये रखने के लिए कार्य करें लेकिन यह देखा गया है कि सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, तथा बार–बार अनुसूचित जाति, जनजाति, वर्ग को आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

आरक्षण अधिकार सम्मेलन के दौरान उपस्थित विशाल जन समूह में निम्नलिखित मांगों का ज्ञापन माननीय महोदय को देने का प्रस्ताव पारित किया है:–

1. अनु. जाति, जनजाति वर्ग को पदौन्नति में आरक्षण बरकार रखने व पदोन्नति की तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण दिनांक 17.06.1995 से प्रभावी करते हुए तत्काल नियम बनाया जाये।
2. वर्तमान आबादी के अनुपात में अनु.जाति , जनजाति का नौकरियों में आरक्षण बढाकर क्रमशः 17 प्रतिशत व 13 प्रतिशत किया जाये।

3. आरक्षण कानून बनाकर संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की कार्यवाही की जाये। तथा आरक्षण को न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाये।

4. प्राईवेट सैक्टर में आरक्षण का प्रावधान किया जायें।

5. उच्च न्याय पलिकाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाये एवं जजो की नियुक्ति हेतु भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाये।

6. एक्स केंडर पद व डेपुटेशन से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण नियम लागू किये जाये, राज्य के सभी संवर्गो में अनु.जाति, जनजाति का बैक लोग भरा जाये।

7. शिक्षा का निजीकरण व बाजारीकरण बन्द किया जाये तथा सबको एक समान व अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया जाये।

8. राज्य में अनु.जाति, जनजाति के विधार्थियों की छात्रवृत्ति बढाई जाये।

9. अनु.जाति, जनजाति के साथ हो रहे अत्याचारों व महिलाओं के साथ उत्पीडन को रोका जाये।

10. विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्राध्यापक एवं अन्य पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जावे।

11. लोकपाल के समस्त संवर्गो में आरक्षण की व्यवस्था की जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांगों पर तत्काल कार्यवाही कर निपटारा किया जावे तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को न्याय दिलाया जावे।

सधन्यवाद

भवदीय,

ई. आशाराम मीणा
महासचिव

जे.पी. विमल (पै त्मजकण)
अध्यक्ष